न्यायालय उप तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 01/14

सरकार जरिये

पटवार हल्का गोविन्दपुरा बनाम

निर्णय दिनाक

श्री दुदा पि० चुना, के बजाय प्रेमचन्द पि० दुदा रेगर नि० धनोरा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम बेगूँ पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दपुरा ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री प्रेमचन्द पि० दुदा रेगर नि० धनोरा ने तहसील बेगूँ के ग्राम गुलाना मे स्थित आराजी नम्बर 303 मी. रकबा 1.73 है. किस्म चरागाह पर दौरान सम्वत् 2075 में अनाधीकृत रूप से भूमि को फसल मक्की, मुंगफली काश्तकार कर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो लिखित रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम गुलाना में स्थित खसरा नम्बर 303 मी. रकबा 1.73 है. किस्म चरागाह भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 12-00 रू. का 50 गुणा राशि 600/- रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 28.01.11 सिविल अपील संख्या नम्बर 1132/2011 व एस.एल.पी.(सी) नम्बर 3109/2011 श्री जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के अनुसार चरागाह भूमिया आवंटन/नियमन नही की जा सकती है।

निर्णय सूनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

उप तहसीलदार
बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Lal Yadav
Date: 2025.12.12 16:22:48 IST
Reason: SelfAttested